

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 65/2020/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. सुगनाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी पुनियाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब न म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट


उपरिस्थिति—

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक — 27.10.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 197, 215/750, 174, 175, 176, 180 लगायत 184, 179, 185, 194 लगायत 196, 198 लगायत 202, 206, 207, 213, 214, 215, 215/759, 237, 238, 239, 243, 177, 178 वाके ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार हैं। प्रार्थी के नाम से ग्राम पुन्याणा की तन में अवस्थित भूमियों में उसका नाम श्रवणराम पुत्र लिखमा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुगनाराम पुत्र लिखमाराम है एवं प्रार्थी के अन्य परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड पैन कार्ड विधालय रिकार्ड शैक्षणिक दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सुगनाराम पुत्र लिखमाराम बदस्तुर अंकित चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से श्रवणराम पुत्र लिखमा दर्ज है एवं दुरुस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी कई बार-बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। वाद कारण अरसा करीब 10-12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरुस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 197, 215/750, 174, 175, 176, 180 लगायत 184, 179, 185, 194 लगायत 196, 198 लगायत 202, 206, 207, 213, 214, 215, 215/759, 237, 238, 239, 243, 177, 178 वाके ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम श्रवणराम पुत्र


उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

लिखमा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सुगनाराम पुत्र लिखमाराम किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम श्रवणराम पुत्र लिखमा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सुगनाराम पुत्र लिखमाराम किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावे।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नामा 168 दिनांक 20.10.2006 के द्वारा श्रवण कुमार पुत्र लिखमाराम दर्ज हुआ है जो आदिनांक है। जबकि प्रार्थी के आईडी पहचान पत्र आधार कार्ड पैनकार्ड राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सुगनाराम दर्ज है। आस पास के लोगों से पुछताछ में बताया गया कि प्रार्थी के बचपन में दो नाम श्रवणकुमार व सुगनाराम थे जिससे राजस्व रिकार्ड में श्रवणकुमार दर्ज हो गया जबकि नाम सुगनाराम ही है। प्रार्थी का नाम सुगनाराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 197, 215/750, 174, 175, 176, 180 लगायत 184, 179, 185, 194 लगायत 196, 198 लगायत 202, 206, 207, 213, 214, 215, 215/759, 237, 238, 239, 243, 177, 178 वाके ग्राम पुन्याणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम श्रवणराम पुत्र लिखमा को दुरुस्त कर उसके स्थान पर श्रवणराम उर्फ सुगनाराम पुत्र लिखमाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ